FIROZABAD POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

सराहनीय कार्य दिनाँक 25-04-2025 थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना दक्षिण पुलिस टीम द्वारा थाना दक्षिण पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 393/25 से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार।

- अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस, 02 जिंदा कारतूस, छिनैती किये गये बैग से 01 मोबाइल फोन, 01 अगूँठी, 02 एटीएम कार्ड,12,500 /- रुपये, छिनैती में प्रयुक्त 01 बाइक एवं अन्य दस्तावेज बरामद ।
- घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में कराया गया भर्ती।

दिनाँक 23-04-2025 को वादिया श्रीमती मंजू राठौर निवासी महावीर नगर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद के द्वारा थाना दक्षिण पर एक बाइक सवार अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादिया का बैग छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 393/25 धारा 304(2) बीएनएस0 पंजीकृत कराया गया था।

उक्त प्रकरण के खुलासे हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान अभियुक्त दीपक पुत्र रनवीर उर्फ वीरे निवासी सुनई थाना कुरावली जनपद मैनपुरी का नाम प्रकाश में आया जिसकी पुलिस टीम को तलाश थी। इसी क्रम में आज दिनाँक 25-04-2025 को थाना दक्षिण पुलिस टीम को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 393/25 में वांछित अभियुक्त थाना क्षेत्र दक्षिण स्थित फैक्ट्री एरिया लालऊ में कहीं भागने की फिराक में छिपा हुआ है।

सूचना के आधार पर थाना दक्षिण पुलिस टीम द्वारा फैक्ट्री एरिया लालऊ में सघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा था इसी दौरान बाइक पर सवार 01 संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा बाइक सवार संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा करने पर उक्त संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर बाइक को वापस मोड़कर भागने लगा। हड़बड़ाहट में भागते समय उस संदिग्ध व्यक्ति की बाइक फिसलकर गिर गई। खुद को घिरता हुआ देख संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी कार्यवाही में संदिग्ध व्यक्ति के पैर में गोली लग गयी जिससे वह घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान छिनैती की घटना में संलिप्त अभियुक्त दीपक पुत्र रनवीर उर्फ वीरे निवासी सुनई थाना कुरावली जनपद मैनपुरी के रूप में हुई है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 02 खोखा कारतूस, 02 जिंदा कारतूस, छीने गये बैग से 01 मोबाइल फोन, 01 अँगूठी, 02 एटीएम कार्ड, 12,500 /- रुपये, घटना में प्रयुक्त बाइक एवं अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-

1. दीपक पुत्र रनवीर उर्फ वीरे निवासी सुनई थाना कुरावली जनपद मैनपुरी।

बरामदगी का विवरण –

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर।
2. 02 जिन्दा कारतूस।
3. 02 खोखा कारतूस।
4. छिनैती की घटना में प्रयुक्त पल्सर बाइक।
5. छीने गये बैग से बरामद 01 मोबाइल फोन, 01 अँगूठी, 02 एटीएम कार्ड।
6. छिनैती के 12,500 रुपये एवं अन्य दस्तावेज।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक-

1. मु0अ0सं0 924/20 धारा 356, 379, 411 व 34 भादवि0 थाना निहाल विहार नई दिल्ली।
2. मु0अ0सं0 950/20 धारा 356, 379, 411 व 34 भादवि0 थाना निहाल विहार नई दिल्ली।
3. मु0अ0सं0 2824/20 धारा 379, 411 भादवि0 थाना ई पुलिस थाना नई दिल्ली।
4. मु0अ0सं0 393/25 धारा 304(2) बीएनएस0 थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. योगेन्द्र पाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 मौहम्मद नफीस थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
3. उ0नि0 सिंहराज सिंह थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
4. उ0नि0 योगेश गौतम थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
5. हे0कां0 1055 अशोक कुमार थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
6. कां0 597 प्रेम सिंह थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।
7. कां0 942 सत्येन्द्र सिंह थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।